खूबसूरत छत्तीसगढ़

(माननीय न्यायाधिपति यतिन्द्र सिंह जी का छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में 29.10.2012 को संपन्न ओवेशन कार्यक्रम के भाषण के अंश)

मेरे भाईयों, बार एवं रजिस्ट्री के सदस्यगण, देवियों और सज्जनों

जय जोहार , नमस्ते एवं सुप्रभात

जॉर्ज ऊरवेल से क्षमाप्रार्थी हूं ; सभी रंग सुदंर हैं परन्तु उनमें से कुछ बहुत सुंदर हैं ; हरा उनमें से एक है आखिरकार यह प्रकृति का रंग है। अगर सभी हरियाली का अंत हो जाये तो जीवन का ही अंत ही जायेगा : कोई आक्सीजन उत्पन्न नहीं होगा और कार्बन डाइआक्साइड हमें मार डालेगा। मैं छत्तीसगढ़ आकर बहुत खुश हूं जो कि हरियाली से भरपूर हैं और जिसका 44 प्रतिशत क्षेत्रफल खूबसूरत वनों से अच्छादित हैं।

Rice Varieties

परसों मैं विज्ञान एक्सप्रेस में था। वहां मुझे ज्ञात हुआ कि छत्तीसगढ में 19 हजार

प्रजातियों के धान उपलब्ध हैं । यह मेरे लिये आश्चर्यजनक था। अगर मैं प्रत्येक भोजन के साथ विभिन्न प्रकार के चावल ग्रहण करूं तो भी मैं अपने संपूर्ण जीवन में उनमें से प्रत्येक का स्वाद नहीं चख पाऊंगा। मुझे पुनःजन्म लेना होगा।

छत्तीसगढ़ की कुछ और खासियते हैं । इसका लिंगानुपात (प्रति हजार पुरूष पर 991 महिलायें) और बाल लिंगानुपात (प्रति हजार पुरूष पर 964 महिलायें) जो देश में सबसे अच्छी है।

यह वहीं हो सकता है, जहां महिलाओं का सम्मान हो। ऐसे प्रदेश में आना मेरा सौभाग्य हैं।

मैं इसलिये भी खुश हूॅ कि मैं ऐसे प्रदेश में आया हूॅ जहां कोई विद्युत कटौती नहीं है, प्रचुर मात्रा में विद्युत उपलब्ध है। इसके बावजूद भी सौर ऊर्जा में अत्यधिक राशि निवेश करने को चुना, जो कि ऊर्जा संकट से निपटने का उपाय है हमारे भविष्य के ऊर्जा संसाधन । भविष्य में निवेश करना एक अच्छी योजना है। यह वह काम है, जो हमें भी करना चाहिये हमारे भविष्य में निवेश।

भविष्य हेतु निवेश के लिये बहुत से उपाय हैं परन्तु सर्वोत्तम उपाय है, बार एवं बेन्च के बीच मजबूत एवं स्वस्थ संबंध का निर्माण ।

अधिवक्ता एवं न्यायाधीश, बार एवं बेन्च, न्यायिक प्रणाली का अखण्ड भाग हैं। कोई भी न्यायाधीश महान न्यायाधीश तब तक नहीं बन सकता जब तक न्यायालय में महान अधिवक्ता उपलब्ध न हो। और इसका विपरीत भी उतना ही सत्य है। कोई भी अधिवक्ता महान नहीं हो सकता जब तक न्यायालय में महान न्यायाधीश न हो। हम एक–दूसरे को सिर्फ प्रोत्साहित ही नही करते बल्कि ऊंचा उठाते हैं।

आज न्यायालय में मेरा प्रथम न्यायिक दिवस है और यह पहला कार्यक्रम है, जो मेरे भाईयों ने बार एवं बेन्च के बीच मजबूत संबंध निर्माण हेतु आयोजित किया है। मैं उन्हें यह कार्यक्रम आयोजित करने और आपको उक्त सहयोग हेतु बधाई देता हूं। मुझे विश्वास हैं कि एक दिन हम बहुत कुछ प्राप्त करेंगे।

हमारे न्यायिक प्रणाली में एक बहुत बड़ा अवरोध लंबित प्रकरणों का पहाड़ हैं। इससे निपटने का एक उपाय अच्छे एवं काबिल न्यायाधीशों की उपलब्धता है। परन्तु अच्छे न्यायाधीशों का चयन एक पेचिदा विषय हैं। तथापि सूचना एवं

प्रौद्योगिकी के बेहतर उपयोग से विधि संबंधी विलंब से निपटा जा सकता है। यहॉ कार्य करने के लिये और क्षेत्र है।

न्यायायिक प्रणाली बिना भ्रति के मौलिक माननवीय अधिकार नहीं हैं परन्तु यह वह हैं जो निष्पक्ष हो। यह विचार लॉर्ड डिपलॉक ने महाराज विरूद्ध अर्टनी जनरल त्रिनिनाद एवं टोबैगो, 1978 (2) ऑल ई0 आर0 670 में व्यक्त किया।

प्रत्येक के द्वारा निष्पक्षता सुनिश्चित करने हेतु बहुत से कारक हैं। कदाचित , पारदर्शिता इनमें सबसे महत्वपूर्ण हैं : यह पक्षपात को न सिर्फ निषेधित करता हैं परन्तु उससे बचाता भी हैं। इसके सुधार के लिये हमेशा गुंजाईश हैं । ईश्वर की कृपा से हम इस क्षेत्र में बहुत कुछ करने में सफल होंगे।

मैं आपको उसका एक रूप दिखाना चाहता हूं : यह एक उच्च खेद सूचक है।

मैं ऐसे न्यायालय से आया हूं , जो शीघ्र ही 150 वर्ष पूर्ण करेगा, ऐसे न्यायालय में जो कि उसकी तुलना में शिशु न्यायालय हैं इलाहाबाद उच्च न्यायालय में परंपरा स्थापित हो चुकी हैं : यहां परंपरा बनाई जाती है, जो कि भिन्न हो सकती है। आप इस कार्यक्रम को ओवेशन कहते हैं और हम इसे निर्देश कहते हैं।

Adivasi women and her child in Chhattisgarh

मेरा परंपराओं में अटूट आस्था हैं और आपकी परंपराओं को अपनाने में कुछ भूल हो सकती हैं। कृप्या मझे बर्दाश्त करें, मुझे संदेह का लाभ प्रदान करें। मैं इलाहाबाद उच्च न्यायालय और उसके बार को बहुत प्यार करता हूं। यह मेरे हृदय के काफी करीब है, परन्तु मैं उसे पीछे छोड़ना चाहता हूं और छत्तीसगढ़ उच्च न्यायलय और उसके बार का हिस्सा बनना चाहता हूं। कृप्या मुझे इसे प्राप्त करने में सहयोग दें।

मेरे बारे में बहुत कुछ कहा गया परन्तु बार सभी न्यायाधीशों में सर्वोत्तम न्यायाधीश हैं। मैं यहां अपने उच्चतम पद पर नियुक्ति से तभी संतुष्ट होऊंगा, यदि इसी प्रकार के कार्यक्रम में कार्यालय छोड़ने के समय बार कहें की मैं उनकी उम्मीदों में खरा उतरा ।

मैं उक्त कथनों के साथ अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं कि मैं आप मन से यह कहत विदा लेना चाहत हो, कि यिहा छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होके मय अब्बड़ गदगद अऊ सम्मानित महसूस करत हौं। अऊ आप मन के रंग में रंगना चाहत हौं। काबर कि छत्तिसगढ़िया सबले बढ़िया।

इस कार्यक्रम के आयोजन हेतु आप लोगों को धन्यवाद।

जय हिन्द।